

राँची समाहरणालय, राँची
(समाज कल्याण शाखा)
अति अल्पकालीन निविदा सूचना

संयुक्त निदेशक सह-संयुक्त सचिव, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-09, दिनांक-08.01.18 के आलोक नेत्रहीन बच्चों को Assistive Device Kit आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है।


इच्छुक निविदादाता मुहरबंद लिफाफे में निविदा जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, राँची के कार्यालय में दिनांक 06-06-18 को 03:05 बजे तक निविदा जमा करेंगे। प्राप्त निविदाओं को उसी तिथि को अप0 3:15 बजे कय समिति की बैठक में खोला जायेगा। निविदा खोलने के समय निविदादाता या उसके प्रतिनिधि उपस्थित होंगे।

Assistive Device Kit के अन्तर्गत आनेवाली सामग्रियों की सूची का विवरण:-

क्रम	सामग्री का नाम	लगभग अनुमानित राशि
1.	Laptop/Tab with compatible software	20000=00
2.	Universal Braille Kit	720=00
3.	Geometry set (standard)	70=00
4.	Stylus plastic (Reversible)	150=00
5.	Braille slate (Plastic)	85=00
6.	Abacus plastic (pocket size)	80=00
7.	English Alphabet Trainer plate	90=00
8.	Taylor mathematical Frame	110=00
9.	Word Building educational kit	110=00
10.	Dominoes Double six	150=00
11.	Brialle paper 100x2 sheets	200=00
12.	Playing cards	100=00
13.	Track suit/sports/cricket kit	2500=00
14.	One carry bag	500=00
15.	Voice recorder (Sony)	7000=00

निविदादाताओं को निम्न शर्तों का पालन करना होगा।

- निविदादाता को निविदा के साथ 20,000/- (बीस हजार) रू0 मात्र की प्रतिभूति की राशि बैंक ड्राफ्ट या राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र के रूप में जिला समाज कल्याण, राँची के पदनाम से जमा करना होगा।
- झारखण्ड राज्य में पंजीकृत निविदादाता को वरीयता दी जाएगी।
- निविदादाता को फर्म के नाम से निर्गत अद्यतन आयकर प्रमाण-पत्र, विगत तीन वर्षों का सी0 ए0 द्वारा निर्गत ऑडिट रिपोर्ट एवं बिक्री कर का अद्यतन स्वच्छता प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति वित्तीय विड के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
- निविदादाता को GST के अन्तर्गत पंजीकृत प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
- सभी सामग्री ख्याति प्राप्त कंपनियों का एवं आई0 एस0 आई0 मार्का का होना चाहिए।
- सामग्री की आपूर्ति के लिए अगल से कोई परिवहन एवं हथालन व्यय देय नहीं होगा।
- आपूर्तिकर्ता को किसी प्रकार का अग्रिम अलग से देय नहीं होगा।
- किसी भी निविदा को आंशिक एवं पूर्ण रूप से स्वीकार करने या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा, जिसको चुनौती नहीं दी जा सकती है।
- निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने का शपथ पत्र देना होगा।
- निविदा के अंतिम निस्तार के पश्चात स्वीकृत निविदादाता को छोड़ कर शेष निविदादाता को प्रतिभूति की राशि के रूप में जमा की गई BID वापस कर दी जायगी।
- प्रत्येक समान का एक ही दर एवं नमूना देना होगा एक से अधिक दर या नमूना होने पर निविदा रद्द कर दी जायगी।
- तकनीकी विड एवं वित्तीय विड अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे के उपर स्पष्ट रूप से तकनीकी विड/ वित्तीय विड अंकित रहनी चाहिए।
- कय समिति को एक या एक से अधिक आपूर्तिकर्ताओं से आपूर्ति लेने का अधिकार सुरक्षित होगा।
- निविदादाताओं को निविदा निष्पादन के समय सभी सामग्रियों का नमूना कय समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
- सामग्री का कय आवश्यकतानुसार किया जायगा तथा नमूने के अनुरूप सभी सामग्रियों आदि की आपूर्ति नहीं किये जाने पर स्वयं के खर्च पर सामग्री वापस करनी होगी एवं आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध विधि सम्मत् कार्रवाई की जायगी।
- उक्त विवरणी के क्रमांक 1 से 15 पर दर्ज सामग्रियों को 25 पैकेट के रूप में तैयार कर देना होगा।


उपायुक्ता,
राँची